न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस संख्या)

अपील संख्या 2024/170 **दायरा दिनांक : 17.10.2024**

उनवान

बाला आत्मज नन्दा, आयु 72 वर्ष, जाति भील, निवासी माधोपुर, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ .... अपीलांट

बनाम

1. सुरेश आत्मज लाल चन्द, आयु 40 वर्ष
2. अनिता पुत्री लाल चन्द, आयु 38 वर्ष
3. निर्मल आत्मज लाल चन्द, आयु 36 वर्ष
4. राजकुमार आत्मज लाल चन्द, आयु 34 वर्ष
5. कमला बाई पत्नी लाल चन्द, आयु 62 वर्ष

जाति मेघवाल, निवासी ममता लाज के पीछे बागरी मोहल्ला, झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0) .... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री योगेन्द्र गौतम एवं अमितोष आचार्य अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री पूरी लाल राठौर अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 04.04.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड के प्रकरण संख्या – 851/दावा/2021 निर्णय व डिक्री दिनांक 08.02.2024 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंटगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि नकल जमाबंदी ग्राम माधोपुर, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड खतौनी संख्या 33 खसरा नम्बर 88 मिन रकबा 5 बीघा 03 बिस्वा स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 08.02.2024 से वाद वादीगण स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ के निर्णय व आदेश न्याय, नियम व कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अपीलान्ट/अप्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ (राज.) के द्वारा बाउनवान सुरेश वगेराह बनाम बाला वगेराह अन्तर्गत धारा 88, 91, 92–ए, 209 वाद पत्र संख्या 851/2021 में पारित

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आदेश/निर्णय दिनांक 08.02.2024 से व्यथित होकर माननीय न्यायालय हाजा में अपील के साथ प्रस्तुत हुआ है।

रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 01 लगायत 05 ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 92–ए, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दिनांक 25.10.2021 को प्रस्तुत कर निवेदन किया की माल ग्राम माधोपुर, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ संवत 2021–2024 खाता संख्या 33 खसरा संख्या 88 मिन रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा आराजी मोती आत्मज खेमा व गोपाल आत्मज किशोर चमार के नाम पर स्थित है। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार उक्त आराजी खसरा नम्बर 88 मिन के नये खसरा नम्बर 105 बने है जिसके संबंध में मिलान क्षेत्रफल की प्रति संलग्न है। नामांतकरण संख्या 47 के अनुसार खसरा नम्बर 105 के 2 उपनम्बर 105/1 व 105/2 भूमि को सरकारी भूमि खाता सरकार बताते हुए बाला पुत्र नन्दा, जाति भील, निवासी माधोपुर को दिनांक 27.05.1986 को आवंटित कर दी। नामांतकरण संख्या 47 के विवरणों में विरोधाभास विचलन दर्शित करता है कि इस नामांतकरण में आवंटन दिनांक दो जगह दिनांक 27.05.1986 व 27.05.1987 वर्णित है। दो उपनम्बर 105/1 व 105/2 की 5 बीघा 03 बिस्वा भूमि के क्षेत्रफल दो जगह के क्षेत्रफल में विचलन है। आवंटन की भूमि में भी विचलन है। नामांतकरण संख्या 47 के उपरान्त बनी नकल जमाबंदी ग्राम माधोपुर के अन्तर्गत दो आवंटित खसरा नम्बर के स्थान पर एक खसरा नम्बर 105/1 बनाकर दोनों के क्षेत्रफल को इसी नम्बर में 5 बीघा 3 बिस्वा दर्शाया गया है। नामांतकरण संख्या 79 के अनुसार खसरा नम्बर 105 की 5 बीघा 3 बिस्वा के गैर खातेदार बाला पुत्र नन्दा, जाति भील, निवासी माधोपुर को खातेदार बनाया गया। नामांतकरण संख्या 79 के उपरान्त बनी नकल जमाबंदी में ग्राम माधोपुर पटवार हल्का भंवरासा के अन्तर्गत खसरा नम्बर 105/1 क्षेत्रफल 5 बीघा 3 बिस्वा दर्शाया गया है, के अन्तर्गत खाता संख्या नया 37 पुराना 34 के खसरा नम्बर 105 के उपनम्बर क्षेत्रफल 105/260 हेक्टर दर्शाया गया है। उक्त वर्णित भूमि के खातेदार रहे मोती व गोपाल मर चुके हैं उनके उत्तरजीवियों का कब्जा काश्त है। जो की रेस्पोंडेन्टगण/वादीगण है। वर्तमान में भी उक्त भूमि पर कब्जा काश्त वादीगण का है। किन्तु राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा गलती के चलते मोती व गोपाल का नाम खातेदारी से हटाया गया और प्रतिवादी संख्या 1/अपीलान्ट को आवंटित की तथा उसके खातेदारी में दर्ज की गई। वादीगण 1 लगायत 4 अपने दादा की भूमि में तथा वादी संख्या 5 अपने ससुर मोती के पुत्र लालचंद की पत्नि होने के कारण खातेदार घोषित होने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 1 का वर्तमान में अपना खाते में नाम होने से वादीगण के वैधानिक अधिकारों में क्षति कारित कर सकता है। जिस कारण वादीगण को अपरिमित क्षति कारित होगी, इस हेतु स्थायी व्यादेश पाबन्द किया जाना आवश्यक है। अतः विगत नम्बर 88 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा से बने नये खसरा नम्बर 105 के 5 बीघा 3 बिस्वा तथा वर्तमान में दर्ज खसरा नम्बर 105/260 रकबा 1.3024 हैक्टेयर भूमि में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम के स्थान पर वादीगण का नाम प्रतिस्थापित करने का आदेश जारी किया जावे तथा घोषणात्मक आदेश के अनुसरण में वादीगण

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

का नाम वर्तमान जमाबंदी में काश्तकार के रूप में अंकित किया जावे। साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 को स्थायी व्यादेश से पाबन्द किया जावे कि वह उक्त भूमि के संबंध में वादीगण के वैधानिक अधिकारों को क्षति कारित ना करें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ द्वारा दिनांक 08.02.2024 को एकपक्षीय वाद वादीगण स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि ग्राम माधोपुर तहसील झालरापाटन की वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2075–2078 खाता संख्या 37 नया 34 पुराना की खसरा संख्या 105/260 रकबा 1.3024 हैक्टेयर का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। उक्त आराजी प्रतिवादी नंबर 1 बाला आत्मज नन्दा के खाते से कम की जाकर वादीगण के खाते दर्ज की जावे तथा प्रतिवादी नम्बर 1 को स्थायी व्यादेश से पाबन्द किया जाता है कि वह उक्त भूमि के संबंध में वादीगण के वैधानिक अधिकारों को क्षति कारित नहीं करें। जो कि अधीनस्थ न्यायालय की बहुत बड़ी त्रुटि रही है। जो कि न्याय व साम्या के सिद्धांतों के विपरीत है जो कि काबिल खारिज होने योग्य है।

अपील की मद संख्या 3 में वर्णित कृषि आराजी के संबंध में कोई ठोस दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेन्ट्स/वादीगण की और से प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे यह स्पष्ट हो कि जिस कृषि आराजी का दावा किया गया है वह यही हो क्योंकि साबिक खसरा संख्या 88 मिन का पुराना रकबा लगभग 63 बीघा का रहा है। वादीगण का वाद प्रथम दृष्ट्या अधीनस्थ न्यायालय में ही खारिज होने योग्य था। क्योंकि इसके संबंध में नक्शा व तरमीमशुदा, नक्शा वाद के साथ संलग्न नहीं है और बिना नक्शे मौके के यह स्पष्ट नहीं हो सकता कि उक्त आराजी कभी भी वादीगण/रेस्पोंडेन्ट्स के दादा व पिता की रही हो। इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री काबिल निरस्तनीय होने योग्य है। अपील की मद संख्या 3 में वर्णित कृषि आराजी के साबिक खसरा संख्या 88 के कई नये खसरा नम्बर बनाये गये जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि उक्त खसरा संख्या ही रेस्पोंडेन्ट्स के दादा की रही हो और उक्त खसरा संख्या दौराने सेटलमेंन्ट एवं सेटलमेंन्ट से पूर्व भी सरकारी सिवाय चक राजस्व रिकार्ड रही है। इस संबंध में केवल और केवल जमाबंदी सेटलमेंन्ट से पूर्व को आधार मानकर किसी व्यक्ति को खातेदारी नहीं दी जा सकती। वर्तमान कब्जा भी मौके पर देखा जाना चाहिए था। जिसको भी नजर अंदाज करते हुए उक्त निर्णय व डिक्री अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी कर घोर त्रुटि की है। जो की काबिल निरस्तनीय होने योग्य है। अपीलान्ट/प्रतिवादीगण एक अशिक्षित, वयोवृद्ध एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय का व्यक्ति है। जिसकी कृषि आराजी किसी भी रीति से किसी अन्य समुदाय के व्यक्ति को अंतरण नहीं की जा सकती है। इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश व डिक्री काबिल निरस्तनीय होने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धांत ऑडी ऑल्टरम पार्टेम (audi alteram partem) दूसरे पक्ष को भी सुनो। एक पक्ष को सुनकर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए नैसर्गिक न्याय का भी सिद्धांत यही है कि निर्णय से पूर्व न्यायालय को सभी का पक्ष सुनना चाहिए। दूसरे पक्ष को न सुनना अन्याय का कारण हो सकता है एवं हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्रदान किया जाना आवश्यक है परंतु प्रकरण में हाल अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है परंतु प्रकरण में हाल अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बगैर एकपक्षीय रूप से जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय/आदेश व डिक्री पारित की गई है वह काबिल निरस्तनीय है। परीक्षण न्यायालय द्वारा उचित एवं प्रॉपर्टी नोटिस (सम्मन) तामील नहीं करवाये गये जबकि सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के आधार पर तामील के और भी अन्य कई प्रकार बताये गये है। रेस्पोंडेन्ट्स ने अपीलान्ट के अशिक्षित होने का फायदा उठाकर परीक्षण न्यायालय को गुमराह कर एक पक्षीय अनुतोष प्राप्त किया है जो काबिल निरस्तनीय होने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है की अपील अपीलान्ट मय खर्चा स्वीकार की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ के मूल आदेश/निर्णय व डिक्री दिनांक 08.02.2024 वाद पत्र संख्या 851/2021 में पारित आदेश/निर्णय व डिक्री दिनांक 08.02.2024 बाउनवान सुरेश वगैराह बनाम बाला वगैराह को अपास्त किये जाने के आदेश न्याय हित में प्रदान करने की कृपा करें।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि उक्त निर्णय/आदेश की प्रथम बार जानकारी में तब आयी जब वादी कृषि ऋण लेने के लिए अपनी कृषि आराजी के दस्तावेज लेने ई – मित्र पर गया तो पता चला की उक्त कृषि आराजी तो वादी के नाम पर है ही नहीं। तब सम्पूर्ण जानकारी अपने अधिवक्ता से मिलकर प्राप्त की और माननीय विद्वान अपीलीय न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की। अतः जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है, विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आदेश 41 नियम 27 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश किया, पेश किये गये दस्तावेज राजकीय दस्तावेज होने के कारण रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि नामान्तरण संख्या 47 से विवादित आराजी अपीलांट को आवंटन होना, कब्जा देना, राशि जमा होना प्रमाणित है। नामान्तरण संख्या 84 से खातेदारी प्राप्त हुई है। अपीलांट भील (एस.टी.) समुदाय का था और आराजी मेघवाल (एस.सी.) के नाम दर्ज कर दी गई, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लंघन है। रेस्पोडेंटगण द्वारा विवादित आराजी पर कब्जे को लेकर कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। मूल रूप से खसरा नं. 88 रकबा 63 बीघा 15 बिस्वा था, उसमें से अलॉट हुई है। रेस्पोडेंट सेटलमेंट पहले की एकमात्र जमाबंदी 2021–24 के आधार पर ही दावा लाया परंतु आराजी किस तरह से आई यह प्रमाणित नहीं किया गया। रेस्पोडेंट ने कोई ठोस दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं किया, जिससे

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

यह स्पष्ट हो कि जिस कृषि आराजी का दावा किया गया है, यह वही आराजी है, जो वर्तमान में अपीलांट के खाते दर्ज रिकार्ड है क्योंकि खसरा नम्बर 88 मिन का पुराना रकबा 63 बीघा का रहा है। रेस्पोडेंटगण द्वारा इसके सम्बन्ध में मूल नक्शा व तरमीम्मशुदा नक्शा वाद के साथ सलंग्न नहीं किया। बिना नक्शे मौके से यह स्पष्ट नहीं हो सकता कि उक्त आराजी कभी वादीगण रेस्पोडेंट के दादा व पिता की रही है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि आदेश 4 नियम 27 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश किये बिना प्लिडिंग के दस्तावेज पेश नहीं किये जा सकते हैं। एक पक्षीय कार्यवाही को सेट व साईड करने के लिए कोई भी आवेदन पेश नहीं किया है। वादग्रस्त आराजी 1965 सम्वत 2021–2024 में हमारे नाम थी। धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन नहीं हुआ है क्योंकि वादग्रस्त आराजी हमारे खाते की थी, हम घोषणा के लिए आये हैं। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अतः अपील खारिज की जाये।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आदेश 41 नियम 27 व्यवहार प्रकिया संहिता के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति पेश की है। पेश किये गये दस्तावेज राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रति है। अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 5 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम माधोपुर, तहसील झालरापाटन की जमाबंदी सम्वत 2021–2024 खाता संख्या 33 खसरा नम्बर 88 मिन रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा आराजी मोती आत्मज खेमा व गोपाल आत्मज किशोर चमार के नाम दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार उक्त आराजी खसरा नम्बर 88 मिन के नये खसरा नम्बर 105 बने हैं। नामान्तरकरण संख्या 47 के अनुसार खसरा नम्बर 105 के दो उप नम्बर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

105/1 व 105/2 भूमि को सरकारी भूमि खाता सरकार बताते हुए बाला पुत्र नन्दा, जाति भील निवासी माधोपुर को आवंटित कर दी। नामान्तरकरण संख्या 79 के अनुसार खसरा नम्बर 105 की 5 बीघा 3 बिस्वा के गैर खातेदार बाला पुत्र नन्दा, जाति भील, निवासी माधोपुर को खातेदार बनाया गया। जबकि उक्त वर्णित भूमि के खातेदार रहे मोती व गोपाल मर चुके हैं। उनके उत्तरजीवियों का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त है। किन्तु राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की गलती के चलते मोती व गोपाल का नाम खातेदारी से हटाया गया और प्रतिवादी संख्या 1 को आवंटित कर उसके खातेदारी में दर्ज की गई। अतः वादी 1 लगायत 4 अपने दादा तथा वादी संख्या 5 अपने ससुर मोती के पुत्र लालचन्द की पत्नी होने के कारण खातेदार घोषित होने के योग्य है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर उपरोक्त विवादित आराजी में वादीगण का नाम वर्तमान जमाबंदी में काश्तकार के रूप में अंकित कराया जावे एवं साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 को स्थायी व्यादेश से पाबन्द किया जावे कि वह उक्त भूमि के सम्बन्ध में वादीगण के वैधानिक अधिकारों को क्षति कारित नहीं करें।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.02.2024 से वादीगण का वाद स्वीकार कर इस आशय का निर्णय पारित किया कि ग्राम माधोपुर, तहसील झालरापाटन की वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2075–2078 खाता संख्या नया 37 पुराना 34 की खसरा नम्बर 105/260 रकबा 1.3024 हेक्टर का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। उक्त आराजी प्रतिवादी नम्बर 1 बाला आत्मज नन्दा के खाते से कम की जाकर वादीगण के खाते दर्ज की जावे तथा प्रतिवादी कम 1 को स्थायी व्यादेश से पाबन्द किया जाता है कि वह उक्त भूमि के सम्बन्ध में वादीगण के वैधानिक अधिकारों को क्षति कारित नहीं करें।

अपीलांट प्रतिवादी कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर मुख्य रूप से कथन किया है कि रेस्पोडेंट वादीगण ने कोई ठोस दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं किया, जिससे यह स्पष्ट हो कि जिस कृषि आराजी का दावा किया गया है, यह वही आराजी है, जो वर्तमान में अपीलांट के खाते दर्ज रिकार्ड है क्योंकि खसरा नम्बर 88 मिन का पुराना रकबा 63 बीघा का रहा है। वादीगण द्वारा इसके सम्बन्ध में मूल नक्शा व तरमीमशुदा नक्शा वाद के साथ सलंग्न नहीं किया। बिना नक्शे मौके से यह स्पष्ट नहीं हो सकता कि उक्त आराजी कभी वादीगण रेस्पोडेंट के दादा व पिता की रही है। विवादित आराजी के साबिक खसरा नम्बर 88 के कई नये खसरा नम्बर बनाये गये जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि उक्त खसरा नम्बर ही रेस्पोडेंट के दादा की रही हो और उक्त खसरा संख्या दौराने सैटलमेंट एवं सैटलमेंट से पूर्व भी सरकार सिवाय चक राजस्व रेकार्ड रही है। केवल और केवल जमाबंदी सैटलमेंट से पूर्व को आधार मानकर किसी व्यक्ति को खातेदारी

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

नहीं दी जा सकती। वर्तमान मौका कब्जा देखा जाना चाहिए था। अपीलांट एक अशिक्षित, वयोवृद्ध एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय का व्यक्ति है। जिसकी कृषि आराजी किसी भी रीति से किसी अन्य समुदाय के व्यक्ति को अन्तरण नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर एकपक्षीय रूप से विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय व डिक्री पारित की है वह काबिल निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट मय खर्चा स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.02.2024 अपास्त किया जाये।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न प्रमाणित प्रति नकल जमाबंदी सम्वत 2021–2024 ग्राम माधोपुर प्रदर्श 2 के अनुसार खाता संख्या 33 के खसरा नम्बर मिन 88 की 5 बीघा (पठनीय) आराजी मोती पुत्र खेमा व गोपाल पुत्र किशोर चमार के नाम माफी चाकरी चमारपना दर्ज रिकार्ड है। इस जमाबंदी के अलावा स्वयं के नाम की इसके पूर्व व बाद की कोई जमाबंदी वादी रेस्पोडेंटगण द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रस्तुत नकल मिलान क्षेत्रफल माधोपुर प्रदर्श 3 जिस पर सम्वत अंकित नहीं है, के अनुसार हाल खसरा नम्बर 105 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा साबिक खसरा नम्बर 88 मिन रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 153 मिन रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 154 मिन रकबा 7 बिस्वा से मिलकर बना है परन्तु वादीगण द्वारा प्रस्तुत इस मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि हाल खसरा नम्बर 105 केवल साबिक खसरा नम्बर मिन 88 से ही नहीं बना है। वादी रेस्पोडेंटगण के दादा व ससुर मोती पुत्र खेमा व सहखातेदार गोपाल पुत्र किशोर के खाते जमाबंदी सम्वत 2021 से 2024 में दर्ज आराजी खसरा नम्बर मिन 88 का रकबा (पठनीय) लगभग 5 बीघा अंकित होना दृष्टिगत होता है जबकि विवादित खसरा नम्बर 105 का रकबा प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल के अनुसार 6 बीघा 3 बिस्वा अंकित है अर्थात क्षेत्रफल का मिलान नहीं होता। इसी मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि 88 मिन के अन्य खसरा नम्बर भी बने हैं। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित प्रति नकल जमाबंदी सम्वत 2010 से 2013 खाता संख्या 1 के अनुसार खसरा नम्बर 88 का रकबा 63 बीघा 15 बिस्वा अंकित है, जिसके नक्शे की प्रमाणित प्रति अपीलांट द्वारा पेश की गयी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि खसरा नं. 88 सैटलमेंट से पूर्व ही सिवाय चक दर्ज रिकार्ड रहा है। इससे वादीगण द्वारा वाद पत्र की मद नम्बर 3 (अ) में अंकित किये गये अपने इस कथन का स्वतः ही खण्डन हो जाता है कि विवादित आराजी को सरकारी भूमि खाता सरकार बताते हुए बाला पुत्र नन्दा, जाति भील को आवंटन किया गया। वादी रेस्पोडेंटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं होता कि वादी रेस्पोडेंटगण के दादा व ससुर मोती व गोपाल के खाते दर्ज खसरा नम्बर मिन 88 की आराजी वही आराजी है जो वर्तमान में खसरा नम्बर 105/260 रकबा

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

1.3024 हेक्टर से अपीलांट के खाते में दर्ज रिकॉर्ड है क्योंकि खसरा नम्बर 88 का रकबा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी सम्वत 2010 से 2013, सम्वत 2014 से 2017, सम्वत 2017 से 2020 व सम्वत 2021 से 2024 के अनुसार खाता सरकार दर्ज रिकार्ड रहा है। इन जमाबंदियों में भिन्न भिन्न समयावधि में खसरा नम्बर 88 का रकबा भिन्न भिन्न अंकित है, इससे प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि खसरा नम्बर 88 मूल में से आवंटन होने के पश्चात खसरा नम्बर 88 का मूल रकबा कम होता गया और मिन नम्बर दर्ज होते गये। वादी रेस्पोडेंट द्वारा वाद में अंकित अपने कथन की पुष्टि हेतु खसरा नम्बर 88 का तरमीमशुदा नक्शा भी पेश नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वह खसरा नम्बर 88 के किस भाग पर काबिज काश्त है। विवादित आराजी पर अपने कब्जे को साबित करने हेतु वादी रेस्पोडेंटगण द्वारा खसरा गिरदावरी भी पेश नहीं की है इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय का यह स्वीकार करना कि वादी रेस्पोडेंटगण के दादा व ससुर मोती व सहखातेदार गोपाल के खाते दर्ज खसरा नम्बर मिन 88 की आराजी वही आराजी है, जो वर्तमान में अपीलांट के खाते दर्ज रिकार्ड है, विधि सम्मत नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नकल नामान्तरकरण संख्या 47 प्रदर्श 4 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 27.05.1986 को वक्त राजस्व अभियान बाला पुत्र नन्दा भील को माधोपुर के खसरा नम्बर 105 की 2 बीघा 10 बिस्वा व खसरा नम्बर 105/2 की 2 बीघा 13 बिस्वा कुल 5 बीघा 3 बिस्वा भूमि आवंटन हुई है। जिस पर आवंटी को कब्जा दिया जा चुका है व पट्टा फीस रसीद नम्बर 031126/1 से दिनांक 07.06.1987 को जारी हो चुकी है। पटवारी द्वारा अंकित इस रिपोर्ट के बाद तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण दिनांक 26.08.1987 को स्वीकार कर बाला पुत्र नन्दा भील साकिन देह को गैर खातेदार घोषित किया गया। नकल नामान्तरकरण संख्या 79 प्रदर्श 6 के अनुसार दिनांक 26.06.1994 को नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ और इस नामान्तकरण से बाला पुत्र नन्दा भील को गैरखातेदार से खातेदार घोषित किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित नकल जमाबंदी खसरा नम्बर 88 सम्वत 2010 से 2013, सम्वत 2014 से 2017, सम्वत 2017 से 2020 व सम्वत 2021 से 2024, नकल नामान्तरकरण संख्या 47 व 79 तथा नकल मिलान क्षेत्रफल खसरा नम्बर 105 के अवलोकन से उपरोक्त दोनों नामान्तरकरण संख्या 47 व 79 उचित प्रतीत होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि विवादित आराजी का खातेदार बाला पुत्र नन्दा भील अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) समुदाय का सदस्य है तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की काश्तकारी भूमि पर धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू होने के कारण उसके खाते की आराजी पर वादी रेस्पोडेंटगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 105/260 की आराजी पर वादी रेस्पोडेंटगण को खातेदारी अधिकार प्रदान करते समय इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि खसरा नं. मिन 88 की आराजी में मोती पुत्र खेमा व गोपाल पुत्र किशोर चमार की सहखातेदारी में दर्ज थी जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में केवल मोती के पुत्र लालचन्द के उत्तराधिकारियों को ही बिना तथ्यों की जांच किये, कानूनी प्रावधानों के विपरीत सरसरी तौर पर खातेदार घोषित कर वादीगण का वाद डिक्री किया है, जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियों के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.02.2024 अपास्त किया जाता है एवं तहसीलदार झालरापाटन को आदेशित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.02.2024 की पालना में यदि विवादित आराजी रेस्पोडेंट क्रम 1 ता. 5 के खाते दर्ज कर दी गयी है तो उसे निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी सम्वत 2075–2078 प्रदर्श 7 में अंकितानुसार खसरा नम्बर 105/260 रकबा 1.3024 हेक्टर पर अपीलांट का नाम बतौर काश्तकारी पुनः दर्ज कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से पूर्व की स्थिति बहाल करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04/04/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Iud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)
अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

बाला आत्मज नन्दा, आयु 72 वर्ष, जाति भील, निवासी माधोपुर, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़
.... **अपीलांट**

बनाम

1. सुरेश आत्मज लाल चन्द, आयु 40 वर्ष
2. अनिता पुत्री लाल चन्द, आयु 38 वर्ष
3. निर्मल आत्मज लाल चन्द, आयु 36 वर्ष
4. राजकुमार आत्मज लाल चन्द, आयु 34 वर्ष
5. कमला बाई पत्नी लाल चन्द, आयु 62 वर्ष
   जाति मेघवाल, निवासी ममता लाज के पीछे बागरी मोहल्ला, झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0)

.... **रेस्पोडेंट**

अपील नं **2024 / 170** एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, झालावाड**
मु.द.नं0 **851 / दावा / 2021** निर्णय व डिक्री दिनांक – **08.02.2024**

दावा बाबत

माह अपील़ व तारीख **07 माह 03** सन् **2025**

श्री **योगेन्द्र गौतम एवं अमितोष आचार्य** अभिभाषक अपीलांट की ओर से , श्री **पूरी लाल राठौर** अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.02.2024 अपास्त किया जाता है एवं तहसीलदार झालरापाटन को आदेशित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 08.02.2024 की पालना में यदि विवादित आराजी रेस्पोडेंट कम 1 ता. 5 के खाते दर्ज कर दी गयी है तो उसे निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी सम्वत 2075–2078 प्रदर्श 7 में अंकितानुसार खसरा नम्बर 105 / 260 रकबा 1.3024 हेक्टर पर अपीलांट का नाम बतौर काश्तकारी पुनः दर्ज कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से पूर्व की स्थिति बहाल करे।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **04 माह 04 सन् 2025** को जारी किया गया ।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)